पत्रांक–7 / अतिक्रमण (रक्षा भूमि)–06–24 / 2024.....371.....(7) / रा0

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

सी0 के0 अनिल,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–13.04.2026

**विषय :–** **रेलवे की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को प्राथमिकता पर हटाना।**

**प्रसंग :–** Suresh Choudhary V. State of Bihar 2010 (1) PLJR 374
(ii) Pancha Nand singh V. State of Bihar CWJC No. 16859 of 2025 में आदेश दिनांक–10.04.2026।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पूर्व में Defence Land के संबंध में प्राथमिकता के आधार पर BPLE Act 1956 के अन्तर्गत अतिक्रमण हटाने का निर्देश पत्रांक–138(7) दिनांक–13.02.2026 द्वारा दिया गया था।

2. यह कि General Manager, East Central Railway , हाजीपुर ने भी रेलवे की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने की अपेक्षा की है।

3. यह कि प्रासंगिक न्यायादेश (दिनांक–10.04.2026) का उद्धरण नीचे दिया जा रहा है, जो प्रक्रिया स्पष्ट करती है :–

4 " In terms of the provisions of the Bihar Public land Encroachment Act, 1956 (herein after referred to as "the 1956 Act") proceedings in such matters are required to be initiated under section 3 thereof. Notices are to be issued to the alleged encroachers and other concerned parties, affording them an opportunity to file their defence and to be heard. Thereafter, a final order is to be passed under section 6 of the said Act, against which an appeal lies under section 11 thereof".

4. यह कि पूर्व में भी सुरेश चौधरी बनाम बिहार राज्य जो 2010 (1) PLJR 374 में वर्ष 2009 में ही रेलवे भूमि के संबंध में पारित है, में यह स्पष्ट किया है कि Railway की भूमि उसके विस्तार (expansion) कार्यक्रमों के लिए जनहित में आवश्यकता है एवं इस भूमि में यदि कोई अन्य बंदोबस्ती का अभिलेख दिखाता है, वह अमान्य होगा।

5. उक्त न्यायादेशों से यह स्पष्ट होगा कि बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 में समाहर्त्ता से ये अपेक्षा की गई है कि सरकारी भूमि का रक्षा एवं सुरक्षा करें एवं नियम भंग करने वालों पर विधिसम्मत् कार्यवाई करते हुए उचित आर्थिक दण्ड की भी वसूली करें।

विश्वासभाजन

13/04/2026

(सी0 के0 अनिल)
प्रधान सचिव।

CamScanner